M.A.History 4thsemester

Paper III (A) Economic history of India(1200-1900)
Kiran yadav
assistant professor History govt. PG College Dhanapur Chandauli

शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था

शेरशाह की प्रसिद्धि का एक महत्व पूर्ण कारण उसकी भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार है । शेरशाह ने मानवता को ध्यान में रखकर भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। आय का प्रमुख स्रोत होने के साथ ही भू राजस्व की एक और विशेषता यह थी कि यह अधिकतर ग्रामों से ही प्राप्त होती थी। अतः शेरशाह ने ग्रामीण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया ।ग्रामीण व्यवस्था में गांव का मुखिया सरकार की मदद करता था। शेरशाह ने मुखिया का पद का वैधानिक मान्यता देकर उसके अधिकारों की रक्षा की ,इसके साथ ही मुखिया के कर्तव्य भी शेरशाह ने निश्चित कर दिए, जैसे गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपने गांव में पहरा देना, चोरी, डकैती ,हत्या रोकने का व्यवस्था करना। परिणाम स्वरूप शेरशाह की इसव्यवस्था के कारण असामाजिक तत्वों का अंत हो गया। चोरी डकैती एवं हत्या की घटनाएं देखने को भी नहीं मिलती ।रक्षा का प्रबंध पहले से अधिक संतोषप्रद हो गया।

शेरशाह की तत्कालीन भूमिव्यवस्था के आधार थे-

1 कृषकों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए

2 कऱ निर्धारण में नम्रता और वसूलने में कठोरता

3 उत्पादन में उचित अनुपात

4 कृषि भूमि के मालिक स्वयं बने।

शेरशाह ने **पट्टा और कबूलियत** की व्यवस्था की। पट्टा द्वारा किसानों को उसकी भूमिका स्वामी बनाया जाता था। इस कार्य में भूमि का क्षेत्रफल ,भूमि की किस्म, भूमिकर निर्धारण की शर्तें तथा किस्म का नाम और पता इत्यादि दर्ज होता थाऔर इसके बदले में किसान, राज्य को लिखकर एक कबूलियत देता था जिसके द्वारा वह

लगान चुकाने की प्रतिज्ञा करता था। लगान की वसूली में शेरशाह ने मुकद्दाम तथा अमीनो को कठोरता करने का आदेश दे रखा था

शेरशाह ने भूमि पैमाइश की प्रथा पुनःशुरू की। समान विधि से भूमि की पैमाइश की जाती थी और प्रत्येक ग्राम की कृषि योग्य भूमि का लेखा-जोखा रखा जाता था। उसने अहमद खान के निरीक्षण में राज की कृषि योग्य भूमि की पैमाइश कराई। संभवत मुल्तान सूबे में पैमाइश नहीं कराई गई थी क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र थाऔर सुरक्षा कारणों से शेरशाह ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। उसे भूमि की पैमाइश सिकरीगंज के आधार पर की। भूमि की इस मापके लिए लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता था। भूमि को उसने जरीब में विभाजित किया। इस जरीबको आगे चलकर अकबर ने बीघा में परिवर्तित कर दिया ।प्रत्येक जरीब अथवा बीघा में 36 00 वर्ग गज होता था ।भूमि की माप के बाद कृषि के उपज पर कर निर्धारित होता था।

पैमाइश किए गए क्षेत्र को उनकी उर्वरा शक्ति के आधार पर उत्तम, मध्यम .एवं निम्न श्रेणियों में विभाजित किया। भूमि की उपज के आधार पर ही लगान निश्चित किया गया। लगान की दर को लेकर विद्वानों में मतभेद है डॉक्टर कानूनगो के मत में शेरशाह जमीन की औसत उपज का 1/4 हिस्सा भूमि कर के रूप में लेता था किंतु डॉ. पी शरण एवं त्रिपाठी के अनुसार भूमि भूमि कर उपज का 1/3 होता था। इसके अलावा कृषकों से **जरीबाना (पैमाइसीफीस)तथा मुहा सिलाना(कर संग्रह फीस)** ये दो कर भी वसूल किए जाते थे। । ये कर साधारणतया भूमि कर का2- 1 /2से 5% तक होती थी ।

शेरशाह का का निर्धारण के समय अधिकारियों को स्पष्ट आदेश था कि वे किसानों के साथ उदारता का व्यवहार रखें और उन्हें चाहे जितने भी छूट दे सकते हैं किंतु भू-कर की वसूली के समय किसी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिए। शेरशाह ने अपने सैनिकों को भी आदेश दिए कि वे अभियान के समय फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं ,अगर कोई सैनिक खेतों को हानि पहुंचाता था तो शेरशाह दोषी सैनिक को कठोर दंड देता था और कृषक की क्षति पूर्ति की जाती थी।

शेरशाह ने भू राजस्व नकदऔर अनाज के रूप में (बाजार भावपर) जमा करने की छूट दी। उसने किसानों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया कि वे राजकोष में स्वयं कर का भुगतान किया करें इससे गांव के मुखिया एवं करवसूलनेवाले अधिकारियों का महत्व कम हो गया

इसके अतिरिक्त सूखा, बाढ़ ,अकाल पड़ने पर कृषकों को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता भी देने की व्यवस्था की गई। किसानों को अकाल के समय

सहायता देने के लिए एक विशेष कर अन्न के रूप में लिया जाता था । इस अन्न को स्थानीय भंडारों में सुरक्षित रखा जाता था और अकाल के समय सस्ते मूल में बेचा जाता था।

इस व्यवस्थामें कई दोष थे-औसत उत्पादन की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी और मध्यम तथा निम्न भूमियों पर कर- भार अधिक था। मालगुजारी के अलावा जरीबाना ,मुहा सिलाना आदि कर देने से कृषक पर कर भार बढ़ गया था। वार्षिक बंदोबस्त होने से कृषकों को असुविधा होती थी। विभिन्न मंडियों में अनाज के मूल्यों में अंतर होने से भी कृषकों को हानि होती थी। सारी सावधानी करने के बाद भी स् शेरशाह राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पाया । जागीरदारी प्रथा अभी भी प्रचलित थी अतः जागीर क्षेत्रों के कृषकों को राजस्व सुधार का लाभ प्राप्त नहीं था।

शेरशाह की नवीन ग्रामीण व्यवस्था व्यवस्था के परिणाम स्वरुप कृषक वर्ग अनेक प्रकार के कर- भार से मुक्त हो गया। वह अपनी खेती से ही आसानी से अपने परिवार का जीवन यापन करने लगा। राज्य को भी इससे यह लाभ हुआ कि स्थानीय प्रशासन चुस्त होने से चोरी ,डकैती एवं अन्य प्रकार के सामाजिक आर्थिक शोषण कम हो गए, जनता सुखी हुई, भूमि एवं भूमि कर का, प्रत्येक गांव का अभिलेख तैयार हो गया, भू राजस्व से होने वाले आय करीब करीब सुनिश्चित हो गई ।शेरशाह की इस व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है जो उत्तर भारत में मुगल शासनकाल में प्रचलितथी। इस व्यवस्था को आगे चल कर अंग्रेजों ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में अपनाया । इस नवीन भूमि व्यवस्था की नीव भारत में धीरे-धीरे मजबूत होती गई और वहीं व्यवस्था ,वर्तमान परिवेश में ,संशोधित रूप में आज भी कायम है।